Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 33–2024] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 13, 2024 (SRAVANA 22, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2024

संख्या 12/250–बागावाली कोठी–2024–पुरा/2590–2598.— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों तथा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों का हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है;

इसलिए, अब, हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति या उसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, के साथ जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए, पर विचार करेगी।

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
बागावाली कोठी, दुजाना 20वीं शताब्दी पूर्व	बागावाली कोठी, दुजाना 20वीं शताब्दी पूर्व	दुजाना	झज्जर	182	6–11	ग्राम पंचायत	दुजाना दिल्ली से लगभग 37 मील पश्चिम दिशा में स्थित है। इस स्थान का नाम दुर्जन शाह नामक एक तपस्वी के नाम पर रखा गया हैं, जिसने गांव के वर्तमान स्थल पर एक झोपड़ी बनाई थी, जो उस समय वन था। बाद में, मोहम्मद खान उर्फ मलिक जुट्टा दुर्जन शाह की अनुमति से इस स्थान पर बस गया और जैसे–जैसे उसने वन को साफ किया और खेती बाड़ी की, अन्य निवासियों के पहुंचने से यहां की जनसंख्या में वृद्धि हुई। विशाल विश्राम–गृह स्थल परिसर, जिसे बागावाली कोठी के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण वर्ष

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
							1920 में हुआ, और झज्जर शहर से कुछ मील की दूरी पर स्थित है। यह कोठी (महल) दुजाना के तत्कालीन नवाब से संबंधित थी।

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 19th July, 2024

No. 12/250-Bagha Wali Kothi-2024/pura/2590-2598.— Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that archaeological sites and remains and ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below, to be protected archaeological sites and remains specified in columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the said Schedule to be protected area.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, from any person with respect to the proposal which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Heritage and Tourism Department, Chandigarh before the expiry of the period so specified: -

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	**Name of archaeological sites and remains**	**Name of village/ city**	**Name of tehsil / district.**	**Revenue Khasra/ Kila number under protection.**	**Area to be protected Kanal-Marla**	**Ownership**	**Remarks**
1	2	3	4	5	6	7	8
Bagha Wali Kothi at Dujana 20th Century CE,	Bagha Wali Kothi at Dujana 20th Century CE,	Dujana	Jhajjar	182	6-11	Gram Panchayat	Dujana lies appx. 37 miles west of Delhi. The place is named after Durjan Shah, an ascetic who built a hut, on the present site of the village which was at that time a jungle. Later, one Mohammed Khan alias Malik Jutta settles at this place with the permission of Durjan shah and as he reclaimed and cultivated the jungle, the population rose with influx of other settlers. The sprawling guest-house complex, better known as Bagh wali kothi was constructed around 1920 and is located a couple of miles from the Jhajjar town. The Kothi (Palace) belonged to the erstwhile Nawab of Dujana.

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Heritage and Tourism Department.

11222—C.S.—H.G.P., Pkl.